बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

विषयः– 60 सेट ऑफिसर्स आवास एवं हॉस्टल परिसर नेहरू पथ, पटना का पुनर्विकास कार्य हेतु ₹246,23,60,000.00 (दो सौ छियालीस करोड़ तेईस लाख साठ हजार रुपये)मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

नेहरु पथ, पटना अवस्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास एवं हॉस्टल परिसर के पुनर्विकास कार्य अन्तर्गत आवासीय भवन (टाईप–I, जी+11)–44 यूनिट का निर्माण (क्षेत्रफल 300537.13 वर्गफीट), स्टाफ ब्लॉक (टाईप–IV, जी+10)–80 यूनिट का निर्माण (क्षेत्रफल 36883.67 वर्गफीट), ड्यूप्लेक्स बंगला (19 अदद) का निर्माण (क्षेत्रफल 107739.88 वर्गफीट), क्लब हाउस का निर्माण (क्षेत्रफल 33656.63 वर्गफीट), बैरक का निर्माण (क्षेत्रफल 12238.00 वर्गफीट), पब्लिक उद्यान तथा परिसर एवं अन्य सुविधाओं का विकास किया जाना है।

2. विषयांकित निर्माण कार्य योजना के प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा ₹246,23,60,000.00 (दो सौ छियालीस करोड़ तेईस लाख साठ हजार रुपये)मात्र का तकनीकी अनुमोदन दिनांक 03.01.2025 को प्रदान किया गया है, जो विभागीय पत्रांक–171(भ) अनु0, दिनांक–07.01.2025 द्वारा प्रेषित है। योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 30 माह होगी।

3. राज्य योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0.236 करोड़, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹100.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹100.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2027–28 में ₹46.00 करोड़ का व्यय किया जायेगा। जिसका व्यय "मांग संख्या–03 के मुख्य शीर्ष–4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–सरकारी रिहायशी भवन लघु शीर्ष–700–अन्य आवास उपशीर्ष–0101–अन्य आवास विपत्र कोड–03–4216017000101 के विषयशीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0101.53.01–मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

4. 60 सेट ऑफिसर्स आवास एवं हॉस्टल परिसर नेहरु पथ, पटना के पुनर्विकास कार्य योजना की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–10.01.2025 में मद संख्या–35 के रुप में प्रदान की गई है। उक्त के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹246,23,60,000.00 (दो सौ छियालीस करोड़ तेईस लाख साठ हजार रुपये)मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. वित्तीय वर्ष 2024–25, 2025–26, 2026–27 एवं 2027–28 में योजना राज्य की उपलब्ध निधि से कार्यान्वित की जायेगी।

P.T.O.

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/1/25

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—भवन/मु०अ०(प०)यो०प्राक्०—1—02/2025 734(अ) पटना, दिनांक— 21/1/25

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की पाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

20/1/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—भवन/मु०अ०(प०)यो०प्राक्०—1—02/2025 734(अ) पटना, दिनांक— 21/1/25

प्रतिलिपि—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/1/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—भवन/मु०अ०(प०)यो०प्राक्०—1—02/2025 734(अ) पटना, दिनांक— 21/1/25

प्रतिलिपि—विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/मा. मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/निरुपण उपभाग, निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल/दक्षिण बिहार अंचल/उप निदेशक—1 एवं 2 अनुश्रवणएवं कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं०—1/गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/1/25

सरकार के सचिव

Sonali